Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में पंचायत समिति सुल्तानपुर, सहायक अभियन्ता 50 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *03 फरवरी* गुरूवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा देहात इकाई द्वारा आज कोटा में कार्यवाही करते हुये श्री विश्राम सिंह मीणा सहायक अभियन्ता एवं कार्यवाहक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा ग्रामीण इकाई को परिवादीगण द्वारा शिकायत दी गई " कि हमारी फर्मों द्वारा पंचायत समिति सुल्तानपुर में सप्लाई की जा रही निर्माण सामग्री से चल रहे कार्य को बंद करवाते हुए निर्माण सामग्री को पास करने की एवज में विश्राम सिंह मीणा सहायक अभियन्ता एवं कार्यवाहक विकास अधिकारी द्वारा 01 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा देहात इकाई **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ0 श्रीमती प्रेरणा शेखावत के निर्देशन** में **श्री विजय सिंह पुलिस उप अधीक्षक** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय **पुलिस निरीक्षक श्री वासुदेव** व टीम द्वारा पंचायत समिति सुल्तानपुर, कोटा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्री विश्राम सिंह मीणा पुत्र श्री होरीलाल जाति मीणा निवासी बड़ापुरा तहसील मासलपुर जिला करोली। हाल सहायक अभियन्ता एवं कार्यवाहक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा को परिवादी से 50 हजार **रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के जयपुर व करोली में स्थित निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।